ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 273-276

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

नक्सलवाद : समस्या एवं समाधान

डॉ0 दीप कुमार श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर– रक्षा अध्ययन विभाग, एस0 एम0 कालेज– चन्दौसी, सम्भल, (उ0प्र0), भारत

Received-19.06.2022, Revised-23.06.2022, Accepted-26.06.2022 E-mail: deep_srivastava76@yahoo.com

सारांशः – *नक्सलवाद एक विचारात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है जो वर्तमान राजसत्ता को उखाड़ फेकना चाहता है यह मूल रुप से मार्क्सवाद, लेनिनवाद एवं माओवाद के वर्ग संघर्श पर आधारित विचारधारा है इसके तहत शोषित एवं उपेक्षित वर्ग अपनी संघर्षश्त से पूजीपतियों, जमीदारों, साहूकारों और शासकों को अपना शिकार बनाते हैं। उनकी ध ारणा सर्वहारा शासन तंत्र की स्थापना है। नक्सलवाद साम्यवादी विचारधारा पर आधारित एक हिंसक आन्दोलन है। वर्तमान मे नक्सलवाद घोर हिंसक कार्यवाहियों का पर्याय बन चुका है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गम्भीर चुनौती बनकर उभरा है। नक्सली या माओवादी एक सामाजिक आर्थिक समस्या है लेकिन आन्दोलन हिंसा के रास्ते पर चला गया है इसलिए यह कानून व्यवस्था की स्थिति से जुड़ा है। छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश में तो इसकी सामान्तर सरकारें चल रही हैं। 25 मई 2013 को दरभा घाटी के हमले के बाद गृह मंत्रालय का यह मानना है कि वामपंथियों की लोकप्रियता व दबाव दोनों बढ़े है। अब नक्सली विचार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में आ गए। कुछ उच्च एवं प्रतिश्ठित संस्थानों में भी इसके परिणाम देखने को मिलते हैं।*

कुंजीभूत शब्द– नक्सलवाद, विचारात्मक, राजनीतिक, आर्थिक संघर्ष, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वर्ग संघर्ष।

नक्सलवाद एक हिंसक आन्दोलन है तथा इसका आधार है साम्यवादी विचारधारा राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष कहा जा सकता है। यह वर्तमान राजसत्ता को उखाड़ फेकना चाहता है, व्यवस्था में अचूक परिवर्तन की माँग करता है और इसके लिए हिंसा को अपना साधन बनाता है। यह नक्सलवाद, लेनिनवाद, माओवाद के वर्ग संघर्ष पर आधारित है। इसलिए इनका आधार शोषित एवं उपेक्षित वर्ग है और ये पूजीपत्तियों, जमीदारों और राजसत्ता पर काबिज लोगों एवं प्रशासन व सरकार को अपना निशाना बनाते है वस्तुतः भूमिपति एवं भूमिहीन संपर्क के साथ–साथ नक्सलवाद सामाजिक आर्थिक विषमता एवं जातीय तनाव से संघर्ष से भी जुड़ा है।

नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के उस आन्दोलन का औपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिमी बंगाल के दार्जीलिंग जिले के नक्सलवादी गाँव से हुई जहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 ई0 सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आन्दोलन की शुरूआत की थी। चारू मजूमदार चीन के कमयुनिस्ट नेता माओत्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों एवं किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं क्योंकि उच्च वर्गों का राजनीति व आर्थिक व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित हो गया है। उनके अनुसार भारत अभी भी अर्द्ध औपनिवेशिक देश है तथा बुर्जुआ तथा सामंतों के गठजोड़ द्वारा शासन किया जाता है। यह आंदोलन मूलतः किसानों का आंदोलन था परन्तु समय के साथ इनकी दिशा व दशा में अनेक परिर्वतन हुए। 1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का एक 'अखिल भारतीय समन्वय समिति' बनाई। 1980 के दशक के शुरूआत में देशभर में करीब 30 नक्सलवादी समूह सक्रिय थे। वर्श 2004 के पश्चात नक्सलवादियों के प्रभाव में निर्णायक वृद्वि तब हुई जब 'पीपुल वार ग्रुप' तथा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर में विलय हो गया। इस तरह नक्सलवादी आंदोलन माओवादी ग्रुप में परिवर्तित हो गया। नक्सली अब अधिकारों की लड़ाई के बजाए आतंक के रास्ते पर बढ़कर एकता, राष्ट्रीयता और शांति और सुरक्षा के शत्रु बन गये हैं। गृह मंत्राालय की रिर्पोट के अनुसार एक आंदोलन के रूप में यह 14 राज्यों के 170 जिलों में फैल चुका है परन्तु वास्तविक स्थिति तो यह है कि नक्सली गतिविधियाँ देश के 20 राज्यों के 223 जिलो के दो हजार थाना क्षेत्रों में फैली हुई है। इनमें प्रमुख राज्य है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल।

गृह मंत्रालय के रिर्पोट के अनुसार वर्ष 2008 से 2011 के दौरान नक्सली हिंसा में 3240 लोगों की जाने गईं। नक्सलियों ने बीते चार सालों में 1,554 लोगों का अपहरण किया, जिनमें से 328 को मौत को घाट उतार दिया।

नक्सलवाद का उदय सीधे तौर पर समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक शोषण से जुड़ा हुआ है। नक्सलवाद के उदय को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

स्वतंत्र भारत में प्रत्येक क्षेत्र में आरम्भ से ही घोर विषमता व्याप्त है। चाहे वह क्षेत्र सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो।

सामाजिक तौर पर वर्गीय असमानता में सभी विषमता का बीज छुपा है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की आम जनता

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

को समूचे व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की आशा थी परन्तु शासक वर्ग आम ग्रामीणजनों की समस्याओं को दूर करने में विफल रहा। स्वतंत्रता पश्चात जमींदारी प्रथा कानूनी तौर पर समाप्त कर दी गयी परन्तु बड़े भूस्वामी की सामंतवादी सोच और मानसिकता में किसी तरह का बदलाव नही आया। पुलिस प्रशासन में आये भ्रष्टाचार ने मजदूरों और निर्धन किसानों का उत्पीड़न हुआ। इससे नफरत और निर्धन किसानों का उत्पीड़न हुआ जिससे नफरत और संर्घष की भावना प्रबल हुई। नक्सलवाद का एक प्रमुख कारण भूमि सुधार कानून का लागू न होना है। सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के पश्चात जमीनों का पुनर्विवरण करने संबंधी कानून बनाये गए परन्तु भूमिहीनों में जमीन वितरण संबंधी अनेक अनियमितताएँ हुई। कम मजदुरी भी ग्रामीण भारत में एक प्रमुख समस्या रही है। भूमिहीन कृषकों को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की घोषणा के बावजूद भूस्वामी कम मजदूरी देते हैं। कम मजदुरी का भुगतान वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी को भी नक्सलवाद को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका रही है। गरीब एवं बेरोजगार लोगों को अराजकतावादी तत्व आसानी से गुमराह कर सरकार और समृद्व लोगों को अपना शत्रु बताते हुए मनचाही हिंसा एवं आतंक की ओर प्रेरित करते हैं। सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा जनसंख्या वृद्वि के कारण सफल नही हो पा रहे हैं।

नक्सलवादियों के कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

1. सामंती तत्वों का विरोध
2. खेतिहर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना
3. भूमि का पुनर्वितरण– उन पर हमला करना एवं उनकी भूमि का अधिग्रहण
4. अपनें इलाके में लेवी वसूल करना और अपनी समानान्तर सत्ता चलाना
5. जन आंदोलन का संचालन– बर्बरता के साथ त्वरित न्याय करना
6. सामाजिक संहिता लागू करना
7. पुलिस बलों पर लगातार हमले कर जनता का सरकार पर से विश्वास डिगाने की कोशिश
8. सरकारी सम्पति का नुकसान

नक्सलियों के कार्यक्रम एवं कार्य पद्धति के कारण बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान जाती है। सरकारी संपत्ति के साथ–साथ निजी संपत्ति का भी नुकसान देखने को मिलता है। नक्सली आंदोलन के पहले चरण में नक्सली बुद्धिजीवी और धन स्वामियों को निशाना बनाते हैं यह शुरुआती दौर था और तब नक्सलवाद को व्यवस्था के प्रति विद्रोह के रुप में एक बुद्धिजीवी आंदोलन के तौर पर देखा जाता था दूसरे चरण में नक्सलियों ने सशस्त्र हमले शुरु किये। वर्तमान में नक्सली गुटों ने देश के कुछ राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर एक रेड कारिडोर का निर्माण कर लिया। इन्होंने जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के अलगाववादी गुटों से भी हाथ मिला लिया है। अत्याधुनिक अस्त्र तथा प्रशिक्षण भी नक्सलियों को प्राप्त हो रहा है। सरकार के अपुष्ट सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. इन सभी गुटों को एकीकृत कर अपना सैद्धान्तिक और आर्थिक समर्थन भी प्रदान कर रही है। यहाँ के नक्सली गुट नेपाल के माओवादी गुट से स्पष्ट रुप से जुड़े हुए हैं। बिहार के मधुबन काण्ड में नेपाली माओवादी के संलग्न होने के प्रमाण मिले थे।

नक्सलियों से जुड़ी हिंसक घटनाएँ

वर्ष	घटनाएँ
2003	1597
2004	1533
2005	1608
2006	1509
2007	1565
2008	1591
2009	2258
2010	2213
2011	1760
2012	1412

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

उक्त ऑकड़ों के अलावा हम उनके वर्चस्व वाले क्षेत्रों का अवलोकन करें तो नीचे दिये गए तालिका नं0–2 से स्पष्ट हो जायेगा।

प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

राज्य	जिले
आंध्र प्रदेश	16
बिहार	22
छत्तीसगढ़	16
झारखण्ड	21
मध्य प्रदेश	01
महाराष्ट्र	04
ओडिसा	14
उत्तर प्रदेश	03
पश्चिमी बंगाल	04
कुल	106

स्रोत–दैनिक जागरण 27 मई 2013 पृ0–13

झारखण्ड माओवाद के चपेट मे है।छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जहां पर 30 साल से माओवादी समस्या ने खनिज संपदा से धनी प्रदेश को बड़े पैमाने पर क्षति पहुँचायी है यहाँ के 16 जिलों के 150 पुलिस थाने गंभीर रूप से संवेदनशील हैं। बिहार के 38 जिलों में से 22 जिलों में इसके प्रभाव ज्यादा है। अधिकांश नक्सली वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हैं। प्रारम्भ में ये नक्सली आंदोलन आदिवासियों के वन संपदा संबंधी अधिकारों के लड़ाई के रूप में था धीरे–धीरे इसनें राष्ट्र विरोधी नीति ग्रहण कर लिया। आज नक्सली न केवल वन संपदा पर अपना वर्चस्व स्थापित किये हैं बल्कि हर जगह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है इनके सांगठनिक ढाँचें का निर्माण पोलित ब्यूरो से होता है।

नक्सली हिंसा से निपटने के लिए दो स्तरों पर प्रयास किये जा रहें हैं। राज्य स्तर पर एवं केन्द्र स्तर पर। सर्वप्रथम पश्चिमी बंगाल में 1970 में हथियार कानून बनाया गया तथा आम नागरिकों को हथियार
उपलब्ध कराकर नक्सलों का मुकाबला करने हेतु प्रेरित किया गया। आंध्र प्रदेश में भी 1980 में ऐसा एक कानून बनाकर आमजनों को कम कीमत पर हथियार उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की मध्यस्थता में पीपुल्स वार ग्रुप से शांतिवार्ता का भी प्रयास किया था। परन्तु झारखण्ड एवं उड़ीसा सरकार द्वारा नक्सल आंदोलन के प्रति उठाए गये कदम सकारात्मक है। ये राज्य नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु विशेष प्रात्साहन राशि, रोजगार प्रशिक्षण, कृषी कार्यों के लिए भूमि बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करती है। छत्तीसगढ़ में विशेष शस्त्र प्रशिक्षण अभियान चलाया गया है इसके अन्तर्गत सलवा जुडुम का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा नक्सल आन्दोलन को समाप्त करने के लिए निम्न प्रयास किये गये हैं–

सर्वप्रथम 1967 में गैरकानूनी गतिविधियाँ प्रतिरोधी अधिनियम लाया गया।

बंगाल, बिहार तथा उड़ासा में स्टीपलचेज नामक संयुक्त अभियान चलाया गया जिसके तहत सेना एवं सी0आर0पी0एफ0 की मदद ली गई जिससे नक्सल गतिविधियों में थोड़ी कमी आयी।

केन्द्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाये गए हैं इसके तहत अति पिछड़ा जिला उन्नयन कार्यक्रम के द्वारा 9 राज्यों में 55 अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए नक्सल पुनर्वास योजना, सामुदायिक कल्याण नीतियाँ और पुलिस कर्मियों की बीमा पालिसी भी शामिल है।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत बनवासी अधिनियम 2006 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं वनवासियों के जंगल में रहने तथा उन्हें एक एकड़ भूमि पर कृषि कार्य करने की बात को स्वीकृति दी गयी ताकि इन क्षेत्रों में नक्सल आन्दोलन को हतोत्साहित किया जा सके।

2007 में पुनर्वास एवं पुनर्नियोजित नीति के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लोगों के पलायन को रोकने की कोशिश भी की गयी है।

केन्द्र सरकार नें मनरेगा तथा आजीविका जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया गया ताकि वंचित

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

समूह नक्सलवाद की ओर आकर्षित न होकर स्वावलम्बी बनें।

केन्द्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रतिरक्षा राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रतिरक्षा व्यवस्था को एकीकृत कर एक एकीकृत आदेश संरचना का गठन किया गया है जो संवाद एवं संपर्क अभियान द्वारा नक्सल आंदोलन को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही है तथा लोगों में जागरुकता फैला रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा ओडिसा, झाारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में आपरेशन ग्रीन हंट शुरु किये गये जो एक सशस्त्र कार्यवाही थी। केन्द्र सरकार द्वारा नक्सल से प्रभावित राज्यों के लिए एकीकृत कमान का गठन किया गया जिसके द्वारा नक्सल विरोधी अभियानों हेतु 20 हेलीकाप्टर की व्यवसाी एयरफोर्स द्वारा घायलों को अचानक ले जाने तथा रिजर्व पुलिस बटालियन की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की गई।

वर्ष 2013 में केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोशनी (रोजगारो मुखी कौशल विकास) की शुरूआत की गई। इस योजना को झारखण्ड, ओडिसा, बिहार, छत्तीसगढ़, अत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश के 24 जिलो में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत (18–35) आये वर्ग के 50,000 युवक युवतियों को रोजगार पूरक प्रशिक्षण दिया जाना है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए नक्सलवाद नीति का मसौदा 17 अक्टूबर 2014 को तैयार किया।

नीतिगत प्रारुप में स्पष्ट रुप से माओवादी विरोधी कार्यवाही में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों एवं राज्य पुलिस की भूमिका को निर्धारित किया गया है। नक्सलवाद से प्रभावित देश के 23 सर्वाधिक जिलों में 4 से 5 विकास केन्द्रो की स्थापना की जायेगी जहाँ सरकार चिकित्सा सुविधाएँ अच्छे शैक्षणिक संस्थान, संचार तथा उचित सुरक्षा प्रणालियों का निर्माण करेगी।

नक्सलवादियों से निपटने के लिए 20 बटालियन की तैनाती भी इस क्षेत्र में की जायेगी। यह बटालियन नक्सल प्रभावित 9 राज्यों (झारखण्ड, ओडिसा, बिहार, छत्तीसगढ़, अत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) में तैनात 90,000 अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों के अतिरिक्त होगी। माओवादी प्रभावित जोन में 250 पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया जायेगा। केन्द्र सरकार जंगल युद्ध प्रशिक्षण संसाधनों का भी उन्नयन करेगी।

प्रस्तावित नीति में डीओपीटी नियमों के आसपास काम करने, अधिक से अधिक रैलियों का आयोजन के माध्यम से स्थानीय आदिवासी युवाओं को भर्ती करने के लिए सेना में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के तरिको की पहचान करने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

सरकार की नीतियों में खामियाँ है:– विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर पाने में सरकार अब तक नाकाम रही है।

नक्सलवादी हिंसा पर काबू नही पाया गया तो यह आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगी। इससे अलगाववादी एवं विध्वंसकारी शक्तियों को बल मिल रहा है जो कि राष्ट्र हित में नही है। हिंसा से अस्थिरता बढ़ती है, अलगाववाद बढ़ता है कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर होती है, राजस्व की क्षति होती है। यह नीति बहुआयामी होनी चाहिए यह नीति जनविरोधी नही होनी चाहिए। सत्ताधारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व नेताओं को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बल से ही प्रेम सौहार्द सहिष्णुता से हम देश में नक्सली हिंसा का उन्मूलन कर सकते हैं। यह सुखद संकेत है कि अब सरकार को यह बात समझ में आने लगी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Raj Ravindra (Naxlites and their ideology) Oxford University press 1988.
2. Atul Yogesh Bhartiya Samaj: Badalta Parivedsh Rajesh Publication Delhi 2003.
3. भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, लेख नक्सलवाद की समस्या एवं चुनौती रमेश कुमार चौधरी जुलाई – दिसम्बर 2009.
4. प्रतियोगिता दर्पण डॉ0 चौहान श्यामसुन्दर सिंह –लेख– भारत में नक्सलवाद पृ0सं0 726 नवम्बर 2010.
5. दैनिक जागरण, चेनाय अनुराधा (हिला देने वाला हमला) 27 मई 2013.
6. इण्डिया टूडे 27 मई 2009 पृ0सं0 33.
7. बातें निबंध की समसामयिक घटना चक्र अतिाक्तांक लेख– नक्सली हिंसा भारत की आंतरिक हिंसा के लिए चुनौती 2014.
8. सिविल सर्विसेज क्रानिकल– दिसम्बर 2014.
9. सिविल सर्विसेज क्रानिकल– जनवरी 2014.

*****